संख्याः 3291/VII-1/06/353-उद्योग/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु उद्योग निदेशालय,उत्तरांचल, देहरादून के अन्तर्गत जिला ऊधमसिंह नगर के "उद्योग केन्द्र भवन निर्माण/आवास" नामक जिला योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 653/बजट-08/डी.आई.सी.उद्य./2005-06, दिनांकः 12 मई, 2006 एवं शासनादेश संख्याः 298/सात/353-उद्योग/04 दिनांक 29 मार्च, 2005 तथा शासनादेश संख्याः 3103/सात-औ0वि0/353-उद्योग/2004 दिनांक 23 सितम्बर, 2005 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग, उत्तरांचल को वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु आयोजनागत पक्ष में जिला योजना के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय के ऊधमसिंह नगर हेतु सम्बन्धित भवन निर्माण हेतु रू0 96.63 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रू0 82.71 लाख (रू0 बयासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2006-07 में इसके विपरीत स्वीकृति हेतु अवशेष रूपया 37,71,000/-(रू0 सैंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण समान किस्तों में किया जायेगा और प्रथम व द्वितीय किस्त का पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही तृतीय किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता हो यह करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपयोग जिला उद्योग केन्द्र के भवन निर्माण/आवास संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को जनपद में पारित परिव्यय के अनुरूप ही किया जायेगा।

4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृति मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10– उपान्त तक स्वीकृत की गयी धनराशि के विपरीत व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो दिनांक 31.03.2007 तक शासन को समर्पित किया जायेगा। व्यय उन्हीं योजना/कार्यों पर किया जाय जिन कार्यों हेतु यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक अवश्य पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

11– उपरोक्त धनराशि आहरित कर सम्बन्धित निर्माण एजेंसी कुमॉऊ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 की अनुदान संख्या–23, मुख्य लेखाशीर्षक 4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 05–ऊधमसिंह नगर में डी0आई0सी0 के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–00, 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 484/XXVII(2)/2006, दिनांक: 24 अगस्त 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 3291(1)/VII-1/06/353–उद्योग/2004, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तरांचल शासन।
7. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ऊधमसिंह नगर।
8. महा प्रबन्धक निर्माण, कुमॉऊ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल।
9. वित्त अनुभाग–2
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।